न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 04 / 2024
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2024 / 85

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

श्री कलसिंग पिता श्री टिटा, जाति भील निवासी कोई डोबन, कसारवाडी, तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा, राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:–

1. वलसिंग पुत्र कलसिंग
2. श्री गोरसिंग पुत्र कलसिंग (मृत्यु)
3. बादरा पुत्र कलसिंग
4. रसाल पुत्र कलसिंग

6. शामां पत्नि कलसिंगजाति भील निवासियान् कसारवाडी, तहसील सज्जनगढ, जिला बांसवाडा, राजस्थान

7. तहसीलदार, तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा

उपस्थित –
श्री हिरेन पटेल, एड्वोकेट (अपीलांट की ओर से)
राजकीय अधिवक्ता (रेस्पोडेंट सं. 7 की ओर से)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम

दिनांक :– 16–02–2026

अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार तहसील सज्जनगढ द्वारा स्वीकृत ग्राम कसारवाडी पटवार हल्का कसारवाडी भू.अ.नि. सर्कल डूंगरा छोटा तहसील सज्जनगढ के नामान्तरकरण सं. 1103 दिनांक 30.01.2015 के विरुद्ध यह अपील पेश कर निवेदन किया है जो [illegible] प्रार्थी के निजी स्वामित्व, खातेदारी व अधिपत्य की कृषि भूमि [illegible] खेत सर्वे नंबर 671, रकबा 1.11 एकड, किस्म बरडी–2 [illegible] में से रकबा 0.56 [illegible] लगानी 0.45 रुपया वाके ग्राम कसारवाडी पटवार हल्का कसारवाडी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कसारवाडी, तहसील सज्जनगढ, जिला बांसवाडा राजस्थान में स्थित है। उक्त कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:53 IST
Reason: SelfAttested

अति.जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

को प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय विलेख कृषि भूमि दिनांक 18.05.2006 के द्वारा श्री मडीया पिता मलजी जाति भील निवासी ग्राम कसारवाडी तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा राजस्थान से कीमतन क्रय की है, जिसका पंजीयन उप पंजीयक सज्जनगढ जिला बांसवाडा के रेकार्ड में दिनांक 18.05.2006 को पुस्तक सं.1, जिल्द सं. 12, क्रम सं.116 के पृष्ठ सं. 145 पर पंजीबद्ध किया जा चुका है। जिसका नियमानुसार राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम से दिनांक 01.06.2006 को नया बटा सर्वे नंबर 1268/671 रकबा 0.56 है. भूमि खातेदार के रुप में दर्ज रेकार्ड किया गया है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी क्रय तिथि से काबिज होकर एकमात्र मालिक, स्वामी व खातेदार होकर उपयोग व उपभोग कर कृषि कार्य करता चला आ रहा है।

प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि सर्वे नंबर 1268/671 रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि को किसी अन्य को विक्रय, दान, बक्षीश इत्यादि नही किया है। उक्त भूमि का प्रार्थी/ अपीलांट एकमात्र मालिक व स्वामी होकर काबिज है। प्रार्थी की उक्त आबादी भूमि सर्वे नंबर 1268/671 रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि को अप्रार्थी सं.1 लगायत 6 ने गलत दस्तावेजो के आधार पर एवं त्रुटिपूर्वक राजस्व कर्मचारियो की अनदेखी से अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा लिया है तथा अप्रार्थी सं.1 लगायत 6 ने प्रार्थी की मृत्यु होना बताते हुए गलत दस्तावेज पेश कर प्रार्थी की अपनी खरीदशुदा भूमि रकबा 0.56 हैक्टेयर का नामान्तरकरण अपने नाम से दर्ज करवा लिया है जबकि प्रार्थी वर्तमान में जीवित है और प्रार्थी की मृत्यु नही हुई है।

अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम अपील में देरी के लिये विलम्ब माफी बाबत् प्रस्तुत किया। अपील दर्ज कर रेस्पोडेंटस को जरिये समन सूचित किया गया। दिनांक 22.07.2024 को रेस्पोडेंट सं. 2 का नोटिस मृत्यु हो जाने बाबत् रिपोर्ट के साथ अदम तामील पेश हुआ। रेस्पोडेंट सं. 3 की ओर से श्री तोलाराम अधिवक्ता ने अभिभाषक पत्र पेश किया। दिनांक 13.08.2024 को रेस्पोडेंट सं. 1,4 व 6 की ओर से श्री तोलाराम एडवोकेट का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 19.11.2024 को अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने रेस्पोडेंट सं. 2 की मृत्यु हो जाने के सन्दर्भ में कायम वारिस मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करते हुए प्रार्थना पत्र में यह उल्लेखित किया कि रेस्पोडेंट सं. 2 की मृत्यु हो जाने के कारण कायम वारिस नही होने से नाम विलापित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

किया जाकर अन्य रेस्पोडेंट के नाम अपील अपीलांट स्वीकार कर नामान्तरकरण सं. 1103 दिनांक 30.01.2015 निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

इसके साथ ही रेस्पोडेंट सं. 1,3,4,6 की ओर से उनके अधिवक्ता ने एक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें मुख्य रुप से यह आपत्ति पेश की गई कि प्रत्यर्थी सं. 2 श्री गोरसिंह की दिनांक 24.09.2010 को मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलार्थी को उसी दिन प्रत्यर्थी सं. 2 की मृत्यु हो जाने की जानकारी हो चुकी थी। इस सम्बन्ध में दिनांक 22.07.2024 की आदेशिका में प्रत्यर्थी सं. दो का नोटिस अदम तामील प्रस्तुत होने का अंकन भी मौजुद है। इसके बावजुद अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 के वारिसान को निर्धारित 90 दिवस की अवधि में पक्षकार बनाये जाने हेतु काई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील को इसी प्रक्रम पर ABATE किया जाकर खारीज किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट सं. 1 व 5 एक ही वयक्ति के नाम दो बार अंकित हो जाने के सन्दर्भ में अपीलांट के अधिवक्ता ने संशोधित उनवान प्रार्थना पत्र पेश कर मुख्य रुप से यह निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील में त्रुटिवश रेस्पोडेंट सं. 1 व 5 दोनो एक ही व्यक्ति को पक्षकार बनाया गया था। जिसे संशोधित कर रेस्पोडेंट सं. 1 ही माना जावे।

तत्पश्चात् दिनांक 07.01.2025 से दौराने सुनवाई रेस्पोडेंट सं. 1,3,4,6 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। आज दिनांक को रेस्पोडेंट सं. 1,3,4,6 के नाम से एवं उनके अधिवक्ता के नाम से बार–बार, रुक–रुक कर सायं. 4 बजे तक आवाज लगवाई गई किन्तु रेस्पोडेंट 1,3,4,6 व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रेस्पोडेंट सं. 1,3,4,6 का जवाब बंद किया जाकर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रेस्पोडेंट सं. 1 व 5 एक ही रेस्पोडेंट के रुप में माना जाकर रेस्पोडेंट 5 पर अंकित नाम को विलोपित किया जाता है।

अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपील नियमानुसार लगभग 9 वर्ष के पश्चात् पेश की गई है अत: अपील अपीलांट म्याद बिन्दु पर ही निरस्त फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:53 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट बुजुर्ग होकर अनपढ व अशिक्षित परिवार का सदस्य है तथा मजदुरी पर निर्भर है। उक्त नामान्तरकरण में

अति. जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

अपीलांट के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि रेस्पोडेंट ने सहखातेदार के रुप में अपने खाते चढवा ली है। इस तथ्य का ज्ञान अपीलांट को माह अप्रेल 2024 में नकल निकलवाने पर हुआ। ततपश्चात् अपीलांट ने रेस्पोडेंट से मिलकर उक्त त्रुटि सुधारने का आग्रह किया। उनके सहमत नही होने से विवश होकर अपीलांट ने राजस्व रेकार्ड प्राप्त कर अपील पेश की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में विलम्ब को क्षमा करे।

प्रार्थना पत्र जहां तक म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। विलम्ब को क्षम्य करते हुए प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

मूल अपील पर बहस के दौरान अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस मैमो में अकित बिन्दुओं को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के निजी स्वामित्व, खातेदारी व अधिपत्य की कृषि भूमि खाता सं. 743 नया 212 पुराना के खेत सर्वे नंबर 671, रकबा 1.11 एकड, किस्म बरडी–2 लगानी 0.89 रुपया में से रकबा 0.56 एकड, लगानी 0.45 रुपया वाके ग्राम कसारवाडी पटवार हल्का कसारवाडी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कसारवाडी, तहसील सज्जनगढ, जिला बांसवाडा राजस्थान में स्थित है। उक्त कृषि भूमि को प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय विलेख कृषि भूमि दिनांक 18.05.2006 के द्वारा श्री मडीया पिता मलजी जाति भील निवासी ग्राम कसारवाडी तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा राजस्थान से कीमतन क्रय की है, जिसका पंजीयन उप पंजीयक सज्जनगढ जिला बांसवाडा के रेकार्ड में दिनांक 18.05.2006 को पुस्तक सं.1, जिल्द सं.12, क्रम सं. 116 के पृष्ठ सं. 145 पर पंजीबद्ध किया जा चुका है। जिसका नियमानुसार राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम से दिनांक 01.06.2006 को नया बटा सर्वे नंबर 1268/671 रकबा 0.56 है. भूमि खातेदार के रुप में दर्ज रेकार्ड किया गया है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी क्रय तिथि से काबिज होकर एकमात्र मालिक, स्वामी व खातेदार होकर उपयोग व उपभोग कर कृषि कार्य करता चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि सर्वे नं. 1268/671 रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि को किसी अन्य को विक्रय, दान, बख्शीश, रहन नहीं किया है। उक्त भूमि का प्रार्थी/अपीलांट एकमात्र मालिक व स्वामी होकर काबिज है। प्रार्थी की उक्त आबादी भूमि सर्वे नंबर 1268/671 रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि को अप्रार्थी सं.1 लगायत 6 ने गलत

अति.जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

दस्तावेजो के आधार पर एवं त्रुटिपूर्वक राजस्व कर्मचारियो की अनदेखी से अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा लिया है तथा अप्रार्थी सं.1 लगायत 6 ने प्रार्थी की मृत्यु होना बताते हुए गलत दस्तावेज पेश कर प्रार्थी की अपनी खरीदशुदा भूमि रकबा 0.56 हैक्टेयर का नामान्तरकरण अपने नाम से दर्ज करवा लिया है जबकि प्रार्थी वर्तमान में जीवित है और प्रार्थी की मृत्यु नही हुई है। अतः तहसीलदार तहसील सज्जनगढ द्वारा स्वीकृत ग्राम कसारवाडी पटवार हल्का कसारवाडी भू.अ.नि. सर्कल डूंगरा छोटा तहसील सज्जनगढ के नामान्तरकरण सं. 1103 दिनांक 30.01.2015 निरस्त किया जाकर अपीलांट के नाम नामान्तरकरण खोला जाने का आदेश फरमावे।

रेस्पोडेंट सं. 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि तहसीलदार सज्जनगढ द्वारा कलसिंग पिता टिटा की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेंट सं. 1 से 6 की ओर से उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज के आधार पर जाँच के पश्चात् उनके वारिसान् के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का यह कथन कि गलत दस्तावेजो के आधार पर रेस्पोडेंट सं. 7 द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण दर्ज किया गया है के सम्बन्ध में यह निर्धारित करना सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपील में संलग्न विक्रय पत्र की फोटो प्रति उप पंजीयक सज्जनगढ जिला बांसवाडा के क्रमांक पुस्तक सं.1, जिल्द सं.12, क्रम सं.116 के पृष्ठ सं. 145 दिनांक 18.05.2006 जिसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण सं. 743 दिनांक 18.07. 2006 जिसकी प्रति संलग्न की है, के अनुसार ग्राम कसारवाडी तहसील कुशलगढ के सर्वे नंबर 1268/671 रकबा 0.56 है. भूमि अपीलार्थी खातेदार के रुप में दर्ज रेकार्ड है। तत्पश्चात् ग्राम कसारवाडी पटवार हल्का कसारवाडी भू.अ.नि. सर्कल डूंगरा छोटा तहसील सज्जनगढ, प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 1103 दिनांक 30.01.2015 से रेस्पोडेंट्स सं. 1 से 6 के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण अन्य वारिसान के साथ [illegible] का नाम भी अंकित है जबकि उनकी मृत्यु पूर्व में दिनांक 24.09.2010 को हो चुकी थी [illegible] प्रमाण पत्र संलग्न है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही विवादित है। प्रश्[illegible] नामान्तरकरण को स्वीकृत करते समय भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की जांच नही की गई है, यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:53 IST
Reason: SelfAttested

अति.जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व विधिवत जाँच की गई होती तो यह विवाद पूर्व में संज्ञान में आ जाता। प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 1103 दिनांक 30.01.2015 प्रारम्भ से ही विवादित प्रतित होता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 135(2) के तहत बिना पक्षकारों को सुने नामान्तरकरण स्वीकृत करना उचित नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार तहसील सज्जनगढ द्वारा स्वीकृत ग्राम कसारवाडी पटवार हल्का कसारवाडी भू.अ.नि. सर्कल डूंगरा छोटा तहसील सज्जनगढ के नामान्तरकरण सं. 1103 दिनांक 30.01.2015 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सज्जनगढ को दोनो पक्षकारों की सुनवाई कर नये सिरे से निर्णय करने आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 16–02–2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
अति. जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:53 IST
Reason: SelfAttested